न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 219 / 2022

अनवान : –

1. कल्याणसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर ।

– सायलान

बनाम्

1. पेमाराम पुत्र फुला उर्फ फूली जाति राईका निवासी गिराजसर तहसील नोहर–फौत
   1/1. सोहनी पत्नी स्व पेमाराम 1/2. हनुमान पुत्र स्व पेमाराम 1/3. जुगलाल पुत्र स्व पेमाराम 1/4. राधा पुत्री स्व पेमाराम
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक साहवा तारानगर।
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा साहवा तहसील तारानगर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक: 23/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/51 के खसरा संख्या 137 की 6.5760 है० कृषि भूमि में सायल का 1265/6576 हिस्सा भूमि व गैरसायल संख्या 1 का 2023/3288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1265/6576 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 61/52 के खसरा नं. 123 की 7.8030 है० भूमि में से गैरसायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के खसरे आपस में चिप्ते हुए है जिसके खसरा नं. 137 व 123 दोनो खसरे चिपते हुए है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से भूमि काश्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये बैयनामा से खरीद की हुई है जिसमें खसरा नं. 137 की 10 बीघा भूमि को खरीद की थी मौके पर कब्जा सौंप दिया गया व कब्जा निर्विवाद रूप से सायल कब्जा में चला आ रहा है तथा सायल ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी धन खर्च करके समतल व उपजाऊ बनाया हैं तथा मौके पर फसल खड़ी हुई है। वादग्रस्त भूमि में सायल व प्रतिवादी संख्या 2 की 10 बीघा भूमि खसरा नं. 137 में खरीद की थी लेकिन गैरसायल संख्या [illegible] व [illegible]के पिता ने खरीदशुदा भूमि का कब्जा खसरा नं. 123 में दे दिया था जो लगातार चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के खसरा का सायल को ज्ञान नहीं था वह अपनी भूमि काश्त करने हेतु [illegible]र काश्तकार को देक[illegible] जाता था अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 1 सायल की कब्जाशुदा भूमि में दखल देने लगा है। वादग्रस्त भूमि के दोनो खसरे 123 व 137 आपस में चिपते हुए है तथा खसरा नं. 137 में सायल की खरीदशुदा भूमि में सायल की जगह गैरसायल संख्या 1 काश्त करता चला आ रहा है तथा सायल खसरा नं. 123 में 10 बीघा भूमि में काश्त करता चला आ रहा है। सायल व प्रतिवादी संख्या 2 की कब्जाशुदा भूमि के चारों तरफ सीवं डोल कायम कर रखी है व सायल ने अपनी कृषि भूमि में काफी मेहनत से जोत कर समतल कर रखी है अब बादी की कब्जाशुदा भूमि के सीमा ज्ञान में गैरसायल संख्या 1 जबरन अपना हक जताकर अवैध रूप से कब्जा प्राप्त करने पर उतारू है तथा मौके पर सायल के कब्जा में विधि विरूद्ध कार्य कर रहा है परन्तु सायल ने उन्हे कभी सफल नहीं होने दिया। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 60/51 के खसरा नं. 137 की 6.5760 है० व खाता संख्या 61/52 के खसरा नं. 123 की 7.8030 है० कृषि भूमि दोनो खसरे आपस में चिप्ते हुए है तथा काश्तकार दोनो खसरों की भूमि संयुक्त तौर से काश्त कर रहे है जिसमें सायल व प्रतिवादी संख्या 2 खसरा न. 123 में अपनी भूमि काश्त कर रहे है व गैरसायल संख्या 1 खसरा नं. 137 में अपनी भूमि काश्त कर रहे है। गैरसायल संख्या 1 अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने व कब्जा काश्त में मदाखलत करने लगे है तथा सींव डोल व कब्जा काश्त बाबत झगडा रखने लगे है इसलिए सायल वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान कब्जा काश्त के अनुसार अलग–अलग करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 123 व 137 का खाता मुश्तरका तौर से काश्त कर रहे हैं अब मौके पर कब्जा काश्त को लेकर भारी तनाव है इसके अतिरिक्त गैरसायल संख्या 1 सायल के कब्जा काश्त की भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचने की फिराक में है यदि गैरसायल संख्या 1 उपरोक्त खसरा की भूमि को बेचान कर देता है तो सायल को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा इसलिए सायल वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बाबत गैरसायल संख्या 1 को पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 60/51 के ख0न0 137 की 6.5760 हैक्ट व खाता स0 61/52 के ख0न0 123 की 7.8030 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की ख0न0 137 व 123 चिपते हुए नही है एवं न ही ख0न0 123 की भूमि सायल व गैरसायलान संयुक्त काश्त करते है ख0न0 123 की भूमि अकेले गैरसायलान ही काश्त करते है। ख.न. 123 की भूमि [illegible] सं. 3 के कब्जा काश्त की भूमि है एवं ख.न. 137 की 10 बीघा भैमि पर वादी [illegible] सं. 2 की खरीद शुदा कृषि भूमि है एवं गैरसायल सं. 1 के पिता एवं [illegible] कब्जा ख.न. 123 में नहीं दिया था एवं ख.न. 137 में ही कब्जा दिया गया था। [illegible] मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के ख.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

137 की 6.5760 हैक्टर बारानी भूमि में से फुला पत्नि स्व. भगवाना जाति राईका साकिन गिराजसर तहसील नोहर ने 2.530 हैक्टर बारानी भूमि बिल मुक्ता एक लाख रूपये में सयल एवं गैरसायल सं. 2 को दिनांक 08/04/2002 को विक्रय कर दी एवं मौके पर वाद भूमि का कब्जा सम्भला दिया एवं नामान्तरण सं. 174 दिनांक 13/7/2002 के अनुसार वाद भूमि सायल व गैरसायल सं. 2 के नाम दर्ज हुई एवं रोही मौज रेखमालिया तहसील नोहर के ख.न. 137 की 10 बीघा भूमि पर बैयनामा की समय से ही सायल व गैरसायल सं. 2 सयुक्त खाता में काश्त करते आ रहे है एवं ख. न. 123 की भूमि से सायल का सरोकार नही है एवं ना ही ख.न.123 पर कभी सायल का कब्जा रहा है तथा हमेशा से उतरदाता के दादा एवं पिता के कब्जा काश्त में रही है एवं वर्तमान में उतरदाता के कब्जा काश्त में चली आ रही है। रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के ख.न. 137 की भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन की आड़ में कब्जा करना चाहा एवं जिस पर उतरदाता सं. 3/3 द्वारा पुलिस थाना खुईया में प्रार्थना पत्र पेश किया एवं सायल एवं गैरसायल सं. 2 पर धारा 447, 427, 34 भा.द. संहिता के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जिस पर सायल द्वारा दिनांक 19/01/2023 को लोक अदालत में राजीनामा कर लिया गया। एवं सायल एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 60/51 के खसरा संख्या 137 की 6.5760 है० कृषि भूमि में सायल का 1265/6576 हिस्सा भूमि व गैरसायल संख्या 1 का 2023/3288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1265/6576 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 61/52 के खसरा नं. 123 की 7.8030 है० भूमि में से गैरसायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि ख0न0 123 व 137 चिपते हुए है एवं ख0न0 137 की 10 बीघा भूमि सायल के जगह गैरसायल काश्त करता है तथा ख0न0 123 की 10 बीघा भूमि सायल द्वारा काश्त की जा रही हैं जबकि गैरसायलान का कथन है कि सायल द्वारा ख0न0 137 की 10 बीघा भूमि खरीद की गई है अतः ख0न0 123 की भूमि पर सायल का कोई कब्जा काश्त नही है एवं ख0न0 123 की भूमि न ही सायल के नाम दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी के मुताबिक ख0न0 123 की भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज है उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नही है एवं सायल द्वारा ख0न0 137 की भूमि खरीद की गई है एवं कोई भी काश्तकार अपने नाम दर्ज भूमि को बेचान करने हेतु स्वतंत्र है अपने नाम दर्ज [illegible] के बेचान हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त [illegible] मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज [illegible] में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.09.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested